Doon Valley Officers Cooperative Housing Society Limited
(Regd. Under Co-operative Societies Act II of 1912, Reg. No. 723 dated 07-06-1966)
Vasant Vihar, Chakrata Road,
Dehradun 7668441801

Ref. No:-1014 /DVOCHSL/AGM/23 Date: 14 -10-2022

दून वैली ऑफिसर्स कोआपेरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 29 सितम्बर 2022 की कार्यवाही का विवरण

दून वैली ऑफिसर्स कोऑपेरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 29 सितम्बर 2022 को प्रातः 1100 बजे समिति के सामुदायिक केन्द्र में आहूत की गई। बैठक में कुल 42 सदस्यों में से 33 सदस्य उपस्थित रहे। उपस्थिति सदस्यों की सूची परिशिष्ट–1 में दर्शित है। गणपूर्ति पूर्ण होने पर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सभापति महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही सर्वप्रथम 27 फरवरी 2022 के उपरान्त दिवंगत समिति के स्वर्गीय सदस्यों को श्रद्धांजलि देने व उनकी आत्मा की शान्ति के लिए समस्त सदस्यों द्वारा खड़े होकर दो मिनट का मौन रखकर प्रारम्भ की गयी। तदोपरान्त विषय सूची पर निम्नानुसार चर्चा हुई :–

प्रस्ताव संख्या –1 : दिनांक 27.02.2022 को सम्पन्न सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि : सभापति द्वारा समिति के सचिव को दिनांक 27 फरवरी 2022 को आहूत की गयी बैठक की कार्यवाही विवरण को पढ़ने का अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा कार्यवाही विवरण पढ़े जाने के पश्चात् कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव डॉ0 एस0 सी0 देवरानी द्वारा रखा गया जिसका अनुमोदन श्री पी0 सी0 त्यागी द्वारा किये जाने पर सर्वसम्मति से दिनांक 27.02.2022 की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या –2 : सभापति द्वारा अपने संबोधन में विगत वर्ष में समिति द्वारा कराये मुख्य कार्यों एवं चालू कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार दिया गया :–

(अ) 2021–22 की आय एवं व्यय : वर्ष के दौरान कुल आय रू0 63,68,207/– थी एवं कुल व्यय रू0 68,50,635.37 रहा। इस प्रकार वर्ष के दौरान समिति को कुल रू0 4,82,428.37 का घाटा हुआ।

(ब) आय के ब्यौरे :

(i) सोसायटी मेण्टेनेन्स चार्जेस (SMC) : 31.03.2021 की स्थिति में वसूली योग्य SMC की राशि रू0 5,46,815/– थी। 31.03.2022 की स्थिति में वसूली योग्य SMC की राशि रू0 5,05,653/– है। यह राशि 142 सदस्यों से वसूल की जानी शेष है।

(ii) सोसायटी डेवलपमेन्ट चार्जेस (SDC) : 01.04.2021 से 31.03.2022 तक 11 सौदों से कुल रू0 1,71,05,398/- की राशि प्राप्त हुई है। 01.04.2022 से 31.08.2022 तक कुल 06+1 (Part) सौदों से कुल रू0 1,15,61,076/- की राशि प्राप्त हुई है।

(iii) दुकानों का किराया : 01.04.2021 से 31.03.2022 तक किराये की कुल वसूली रू0 1,27,084/- हुई। 01.04.2022 से 31.08.2022 तक किराये की कुल वसूली रू0 1,99,851/- हुई।

(iv) फिक्सड डिपोजिट (FD) तथा सेविंग बैंक अकाउण्ट से प्राप्त ब्याज राशि : 01.04.2021 से 31.03.2022 तक रू0 44,33,981/- ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। यह राशि विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त ब्याज से कम है, जिसका कारण ब्याज दर में कमी होना है।

(स) **वर्ष 2021-22 में किये गये विकास कार्य** :-

(i) चकराता रोड़ में लोहे की जाली की फैंसिंग – कार्य पूर्ण
(ii) पार्क नं0 10 की दीवार के निर्माण का शेष कार्य – कार्य पूर्ण
(iii) सोसायटी कार्यालय के सामने जाली एवं टाइल्स का कार्य – कार्य पूर्ण

(द) **वर्ष 2022-23 के दौरान निम्न स्वीकृत विकास कार्य कराये जा रहें है** :-

कमांक संख्या	कार्य	स्वीकृत राशि	कार्य प्रगति
1.	पार्क नं0 1 का फैंसिंग कार्य	रू0 1,95,695/-	कार्य 90% पूर्ण
2.	पार्क नं0 5 का फैंसिंग कार्य	रू0 6,93,915/-	कार्य 80% पूर्ण
3.	Rain water harvesting 3 कूप का निर्माण	रू0 94,967/-	कार्य पूर्ण
4.	वर्षा जल के निकासी हेतु प्लॉट नं0 57/2 एवं 279/2 के सामने नाली का निर्माण	रू0 57,900/-	कार्य पूर्ण
5.	विवेक गुप्ता चौक से काली मन्दिर के बीच सेमल पेड़ के पास सड़क के हिस्से का इन्टरलौकिंग टाइल्स के साथ पुर्ननिर्माण	रू0 2,29,220/-	कार्य पूर्ण

(य) वृक्षारोपण कार्य : वर्ष 2022-23 के दौरान पार्क नं0 3, 4, 9 एवं 12 में कुल 333 पौधों का रिक्त स्थानों में रोपण किया गया।

(र) सोसायटी में हरे कूड़े (Green Waste) का उठाव : हरे कूड़े (Green Waste) के उठाव की व्यवस्था में सुधार करते हुए वर्तमान में समस्त क्षेत्रों में सप्ताह में 2 से 3 बार हरे कूड़े (Green Waste) को उठाने की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू की गई है।

(ल) <u>समिति क्षेत्र में सफाई कार्य</u> : समिति क्षेत्र में समस्त उद्यानों (Parks) एवं सड़कों की नियमित सफाई सप्ताह में 3 बार करने की व्यवस्था लागू की गई है। सड़कों के किनारे, रिक्त प्लॉट तथा उद्यानों में घास की कटाई नियमित रूप से की जा रही है।

(व) <u>भवन निर्माण के दौरान जनित मलबा (Construction waste)</u> : भवन निर्माण के दौरान जनित मलबा (Construction waste) समिति द्वारा उठाने हेतु निम्नानुसार दरों का निर्धारण किया गया है, आशा है इससे समस्या के निदान में मदद मिलेगी :–

(i)	साईकिल रिक्शा लोड कचरा	–	रू0 500/–
(ii)	छोटा हाथी (मिनी ट्रक) लोड कचरा	–	रू0 1000/–

(प) <u>भवन निर्माण कार्य के दौरान समिति की सम्पत्ति को हुई क्षति की मरम्मत हेतु सुरक्षा निधि का प्रावधान</u> : सोसाइटी की सम्पति (Property) को हुई क्षति की मरम्मत एवं इसे बचाने के उद्देश्य से, भवन निर्माण प्रारंभ करने के पूर्व सदस्य द्वारा रू0 25,000/– की राशि सुरक्षा निधि (Security Deposit), सोसायटी खाते में जमा कराने का प्रावधान किया गया है। जिससे निर्माण के दौरान सोसाइटी की सड़क/फुटपाथ/नालियों/पाईपलाइन आदि को पहुँची क्षति का मरम्मत कार्य कराया जायेगा। शेष बची राशि सदस्य को निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त दो (2) माह में वापस कर दी जायेगी।

(फ) <u>खाली प्लॉट की सफाई दर का निर्धारण</u> : सभी खाली प्लॉट की सदस्य द्वारा त्रेमासिक सफाई कराई जायेगी। सदस्य द्वारा सफाई न करने पर सोसायटी द्वारा सफाई करने पर निम्नानुसार दर से राशि वसूल करने का प्रावधान किया गया है :–

(i)	800	वर्ग गज तक के प्लॉट	–	रू0 1200/–
(ii)	800–1200	वर्ग गज तक के प्लॉट	–	रू0 1600/–
(iii)	1200	वर्ग गज तक के प्लॉट	–	रू0 2000/–

(ब) <u>उद्यानों के खुलने का समय</u> : उद्यानों में अवांछित व्यक्तियों/तत्वों को रोकने हेतू समस्त उद्यानों के खुलने का समय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

01 अप्रेल से 30 सितम्बर माह तक :	प्रातः 0500 बजे से 0900 बजे
	सांय 1700 बजे से 2000 बजे
01 अक्तूबर से 31 मार्च माह तक :	प्रातः 0600 बजे से 1000 बजे
	सांय 1600 बजे से 1900 बजे

(भ) <u>कोर्ट केस</u> : 01.04.2022 की स्थिति में कुल 14 केस प्रकरण हाइकोर्ट/ट्रिब्यूनल में लंबित थे। इनमें से निम्न प्रकरणों में समिति के पक्ष में निर्णय हुआ है :–

(i) **<u>हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 14.09.2022 द्वारा निम्न प्रकरणों में अपील अमान्य की गयी है</u> :–**

1. Doon Valley Officers Cooperative Housing Society Limited V/s Maikota, Special Appeal No.210 of 2021 (Plot No.3/1).

2. Doon Valley Officers Cooperative Housing Society Limited V/s Ram Gopal Special Appeal No.232 of 2021 (Plot No.117/1).

3. Doon Valley Officers Cooperative Housing Society Limited V/s Babu Ram Special Appeal No.227 of 2021 (Plot No.182/1).

(ii) निम्न 2 प्रकरणों में वादी श्रीमती हिमानी सती द्वारा किराये की समस्त राशि समिति में जमाकर दुकान खाली कर दी गयी है। दोनो प्रकरण समाप्त किये गये हैं :–

1. SSC No.34/2016 SCC/ADJ 3rd Court Doon Valley v/s Himani Sati, Shop No.5 recovery.
2. Civil Appeal No. 102/2019 8th ADJ Court, Himani Sati v/s Doon Valley, Shop No.5 Eviction.

सभापति ने प्रबन्धन समिति के समस्त सदस्यों, समस्त प्रतिनिधियों, सचिव DVOCHSL, समस्त कार्यलयीन एवं क्षेत्रीय कर्मियों को उनके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

प्रस्ताव कमांक–3 : वर्ष 2021–22 की बैलेंस शीट पर आडिट रिपोर्ट के साथ चर्चा एवं उसका अनुमोदन : सदस्यों को ऑडिट रिर्पोट एवं बैलेंस शीट पहले ही भेजी गई है। सभापति द्वारा समिति के सदस्यों के साथ विगत वर्ष 2021–22 की बैलेंस शीट एवं ऑडिट रिपोर्ट के साथ चर्चा की गयी। इस दौरान सदस्यों की तरफ से निम्न सुझाव आयेः–

(i) चार्टेड एकाउण्टेंट की रिर्पोट के संलग्नक–A के बिन्दु 8, 9, 12 एवं 13) पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(ii) समिति के जो सदस्य SMC का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनकी वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचना सहायक–निबन्धक (Assistant Registrar) कोऑपरेटिव सोसायटी, राजस्व विभाग एवं जिलाधिकारी को पत्र द्वारा प्रेषित की जानी चाहिये।

(iii) सदस्यों को समय से भुगतान हेतु प्रेरित करने के लिये वर्ष के प्रारंभ में SMC के एकमुश्त भुगतान करने पर छूट (Rebate) दी जानी चाहिए।

(iv) भविष्य में समिति की स्थायी संपत्ति (Fixed assets) की सूची ऑडिट रिर्पोट के साथ संलग्न होनी चाहिये।

(v) सदस्यों के लाभांश (Dividend) का लेखा जोखा रजिस्टर में अंकित कर सामान्य निकाय की बैठक में बताया जाये।

सदस्यों के उपरोक्त सुझाव पर विस्तृत चर्चा होने के उपरान्त विगत वर्ष 2021–22 की बैलेंस शीट एवं ऑडिट रिर्पोट के अनुमोदन का प्रस्ताव कर्नल एल0 के0 पुरोहित (से0नि0) द्वारा रखा गया जिसका अनुमोदन श्री एस0 एन0 भट्ट द्वारा किये जाने पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

प्रस्ताव क्रमांक –4 : वित्तीय वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित बजट तथा 2023–24 के बजट प्रस्तावों पर चर्चा एवं अनुमोदन : बजट प्रस्ताव सामान्य निकाय के समस्त सदस्यों को पूर्व में ही उपलब्ध कराये गये हैं। चर्चा के दौरान सदस्यों से निम्न सुझाव प्राप्त हुए :–

(i) समिति के सामुदायिक केन्द्र (Community Centre) को किये गये भुगतान का बजट में एक पृथक उप शीर्ष (Sub head) होना चाहिए।

(ii) सामुदायिक केन्द्र में इनडोर बेडमिन्टन कोर्ट बनाया जाये।

(iii) समिति के सामुदायिक केन्द्र (Community Centre)/क्लब में 6 AC लगाये जाये।

(iv) रखरखाव (Maintenance) हेतु पृथक उपशीर्ष (Sub head) होना चाहिये।

(v) वसन्त विहार क्लब तथा शिव मन्दिर के विकास हेतु अलग निधि बजट में होनी चाहिये। समिति प्रबन्धन को क्लब एवं मन्दिर विकास एवं प्रबन्धन में शामिल करना चाहिये। इस सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये।

(vi) प्रस्तावित कार्यों के प्राक्कलन (Estimate) बनाने के उपरांत नये कार्यों के लिए पूर्ण राशि का प्रस्ताव बजट में किया जाना चाहिए।

चर्चा उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2023–24 के बजट प्रस्तावों के अनुमोदन का प्रस्ताव कर्नल एल0 के0 पुरोहित (से0नि0) द्वारा रखा गया जिसका अनुमोदन कर्नल पी0 एस0 बिष्ट (से0नि0) वि0एस0एम0 द्वारा किये जाने पर बजट प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

प्रस्ताव संख्या–5 : समिति क्षेत्र में प्रस्तावित नई सुरक्षा योजना : कर्नल एल0 के0 पुरोहित (से0नि0) के द्वारा समिति क्षेत्र की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित नई सुरक्षा योजना का विस्तृत पॉवर पाइन्ट प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार बताये गये :–

(i) समिति क्षेत्र को सुरक्षा हेतु कुल 11 सेक्टर में विभाजित किया गया है।

(ii) निम्नानुसार 8 बेरियर/गेट की स्थापना :–

(1) East रोड 3 पर दोनो छोर पर 2 बेरियर/गेट तथा प्लॉट क्रमांक 18/1 के समीप 1 बेरियर
(2) West रोड 3 पर एक बेरियर/गेट
(3) West रोड 5 के दोनों छोर पर 2 बेरियर/गेट
(4) पार्क 14 को घेरने वाली सड़क पर मेन रोड पर 2 बेरियर/गेट

(iii) निम्न 9 बेरियर/गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रख कर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहरी व्यक्तियों का आवागमन नियंत्रित करना :–

(1) East रोड 3 पर प्रस्तावित एक बेरियर/गेट
(2) West रोड 3 पर प्रस्तावित बेरियर/गेट
(3) गेट क्रमांक 3
(4) गेट क्रमांक 5
(5) West रोड 5 के दोनों छोर के दोनों बेरियर/गेट

(6) गेट क्रमांक 6

(7) East रोड 5 पर स्थापित बेरियर/गेट

(8) पार्क क्रमांक 14 की एक निकासी रोड पर स्थापित बेरियर/गेट

(iv) गेट क्रमांक 11 एवं 12 को रात्रि 10 से प्रातः 5 बजे तक बन्द करना

(v) रात्रि में 12 सुरक्षा गार्ड द्वारा पेट्रोलिंग

(vi) दिन में 4 सुरक्षा गार्ड द्वारा पेट्रोलिंग

(vii) रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गेट के चकरी (Revolving) गेट को बन्द करना

(viii) नई प्रस्तावित सुरक्षा योजना पर कुल अनुमानित व्यय रू0 4.72 लाख प्रतिमाह होगा जिससे प्रत्येक सदस्य पर रूपये 800 प्रतिमाह का वित्तीय भाग अनुमानित है। वर्तमान सुरक्षा गार्डों पर होने वाले मासिक व्यय लगभग 90 हजार प्रतिमाह कम करने पर नयी सुरक्षा योजना से अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 3.82 लाख रूपये होगा। इस प्रकार प्रति सदस्य अतिरिक्त वित्तीय भार 600 रूपये प्रतिमाह अनुमानित है।

प्रस्तावित सुरक्षा योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। 2–3 सदस्यों को छोड़कर अधिकांश सदस्यों ने प्रस्तावित सुरक्षा योजना का पुरजोर समर्थन किया। चर्चा के दौरान निम्न सुझाव प्राप्त हुएः–

(i) संवेदनशील क्षेत्रों/स्थलों पर CCTV कैमरों की स्थापना कर आधुनिक तकनीकी से सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

(ii) एफ0 आर0 आई0 से काली मंदिर रोड पर भी दोनों छोर पर बेरियर लगाने का प्रयास किया जाये।

(iii) पेट्रोलिंग में दो गार्ड एक साथ रहें।

(iv) फेरीवालों को सोसायटी द्वारा पुलिस वेरीफिकेशन उपरांत ही परमिट देकर समिति क्षेत्र में विचरण की अनुमति दी जाये।

(v) समिति क्षेत्र के बाहरी मार्गों पर स्थित मकानों की सिक्योरिटी हेतु विशेष प्रयास किये जायें।

(vi) स्थनीय पुलिस से चर्चा कर उनसे समन्वय करते हुये उनका सहयोग लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाये।

(vii) उद्यानों में केवल सदस्यों एवं उनके परिवार के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाये।

(viii) खाली प्लॉट में रह रहे व्यक्तियों/केयर टेकर का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाये।

(ix) अन्दरूनी मार्गों पर बसों का संचालन रोका जाये।

(x) सदस्यों एवं उनके पंजीकृत वाहनों के लिए सिक्योरिटी पास समिति द्वारा दिये जाये।

(xi) सुरक्षा की दृष्टि से नवीन भवन निर्माण स्थल पर मजदूरों को रात में नहीं रूकने दिया जाये।

(xii) रात्रि के सुरक्षा गार्ड प्रभावी रूप से काम नहीं करते अतः उनके कार्य की निगरानी व्यवस्था होनी चाहिये।

नई प्रस्तावित सुरक्षा योजना के लिए व्यापक समर्थन देखते हुए एवं इसके समिति सदस्यों के व्यापक हित में होने के कारण, सभापति द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि प्रथम वर्ष में योजना पर होने वाले व्यय का 50% व्यय भार समिति द्वारा भारित किया जाये तथा

शेष 50% व्यय भार की पूर्ति, सदस्यों के लिये सोसायटी मैन्टेनेन्स चार्ज 300 रूपये प्रतिमाह बढ़ाकर, की जाये। द्वितीय वर्ष में योजना के संचालन हेतु व्यय भार की पूर्ति के सम्बन्ध में निर्णय अगले वर्ष वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में लिया जाये।

समिति के लिए प्रस्तावित नई सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति एवं प्रस्तावित योजना पर प्रथम वर्ष में होने वाले सम्भावित अतिरिक्त व्यय की 50% राशि की पूर्ति हेतु, SMC चार्जेज में प्रति सदस्य 300 रूपये प्रतिमाह वृद्धि का प्रस्ताव स्क्वा0 लीडर ए0 एस0 बेन्स (से0नि0) द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन कमान्डर रवि जुयाल (से0नि0) द्वारा किये जाने पर प्रस्ताव पारित हुआ।

प्रस्ताव क्रमांक–6 : विगत सामान्य निकाय की बैठक 27.02.2022 के निर्णय अनुसार सदस्यों द्वारा नामांकन (Nomination) विषय पर गठित उप–समिति की अनुशंसाओं पर विचार : सभी सदस्यों को नामांकन (Nomination) विषय पर गठित उप समिति के प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित सहपत्रों की प्रति दी गयी है। उप समिति द्वारा कोई स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गयी है। उप–समिति के तीन सदस्यों कर्नल पी0 एस0 बिष्ट (से0नि0), श्री सुशील नौटियाल एवं श्री सुरेन्द्र बर्थवाल द्वारा समिति के सभापति/सचिव एवं संयोजक नामांकन समिति को एक पत्र लेखकर बहुनामांकन की चालू प्रथा को जारी रखने के सम्बन्ध में अपना मत दिया गया है। समिति के संयोजक श्री अजय कुमार लाल द्वारा दिये गये अपने प्रतिवेदन में यह लेख किया है कि समिति की एक राय नहीं बन सकी क्योंकि तीन सदस्यों द्वारा बहुनामांकन के सम्बन्ध में अपनी राय अलग पत्र द्वारा देने के पश्चात् समिति की बैठक में भाग नहीं लिया। समिति के अन्य दो सदस्यों ने समिति की उपविधि के अनुरूप एकल नामांकन के पक्ष में अपना मत व्यक्त दिया है। समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान उपस्थित सदस्यों के बीच भी एक राय नहीं बनी। विषय पर सदस्य एक मत नहीं होने के कारण श्री ए0 के0 अलीपुरिया द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इस विषय पर कोऑपरेटिव सोसाईटी एक्ट का अच्छा ज्ञान रखने वाले वकील से कानूनी सलाह ली जाये। इस सुझाव को आम सहमति से मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्रमांक–7 : सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान अन्य विषयों पर निम्न सुझाव दिए गये :–

(i) नवीन भवन निर्माण के दौरान सदस्यों को होने वाली कठिनाईयों मुख्यतः धूल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, गन्दगी एवं ट्रेफिक में व्यवधान आदि परेशानियों के सम्बन्ध में कड़े निर्देश जारी किये जायें एवं उन्हें कड़ाई से लागू किया जाये। भवन निर्माण के दौरान सड़कों को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भवन निर्माता से कराई जाये। निर्माण स्थल पर केवल चौकीदार को ही रात में रूकने की अनुमति हो।

(ii) उद्यानों में सोलर लाइट लगाई जायें ताकि विद्युत बिल व रखरखाव व्यय कम हो सके।

(iii) समिति क्षेत्र में सदस्यों द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाये तथा इन पर रोक लगाई जाये।

(iv) फेज–2 में स्थित SGRR Higher Secondary School के प्रबन्धक से बात कर स्कूल खुलने/बंद होने के समय यातायात नियंत्रण में उनसे सहयोग लिया जाये।

(v) व्यवसायिक गतिविधि हेतु किराये पर दिए मकानों का SMC चार गुणा वसूल किया जाये।

(vi) समिति के प्रत्येक उद्यान की विस्तृत सौन्दर्यीकरण योजना बनाई जाये।

(vii) समिति क्षेत्र में नियमित रूप से जन सुरक्षा के लिए खतरनाक वृक्षों को विधिवत कटाया जाये। लॉपिंग एवं प्रूनिंग कार्य प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाये ताकि वृक्षों की सुन्दरता प्रभावित न हो। कटाई/छटाई के लिए पॉवर सॉ (Saw) खरीदी जाये।
(viii) SMC न देने वाले सदस्यों की सूची Website पर डाली जाये।
(ix) अवैध डेरी चालन एवं होम स्टे पर रोक लगाई जाये।
(x) समिति क्षेत्र में अतिक्रमण पर रोक लगाने हेतु कड़ी कार्यवाही की जाये।
(xi) SGRR हायर सेकेण्डरी स्कूल के खुलने एवं बन्द होने के समय बाहरी स्कूटर/मोटर साइकल एवं 4 पहिया वाहनों को West Road-5 के दोनों छोरों पर रोका जाये।
(xii) कोर्ट केसस की समीक्षा कर उनका निपटारा यथासम्भव आपसी सहमति से किया जाये ताकि Legal Fees का भार कम हो सके।
(xiii) समिति क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा अनाधिकृत पार्किंग, फुटपाथ पर पार्किंग एवं व्यवसायिक वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई जाये।

सभापति द्वारा सदस्यों के सुझाव पर समुचित विचार कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

अन्त में अन्य कोई बिन्दु न होने के कारण सभापति द्वारा सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

देवेन्द्र (signature)
सचिव

(signature) 14/10/22
सभापति